

प्रथम अध्याय : विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य


छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग कि.मी (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) में फैला हुआ है। नवम्बर 2000 में संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य को विभाजित करके राज्य बनाया गया है। राज्य में 28 जिले हैं एवं जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.55 करोड़ है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई, जो कि 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1,04,943 अनुमानित की गई थी जो राष्ट्रीय औसत ₹1,28,829 से कम थी। राज्य से सम्बन्धित सामान्य एवं वित्तीय आंकड़े **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

बॉक्स 1: कोविड-19 महामारी का वर्ष और राज्य की वित्तीय स्थिति


वर्ष 2020-21 के दौरान, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की विकास दर घटकर 1.54 प्रतिशत हो गई, जो कि वर्ष 2016-20 के दौरान 7.41 से 16.72 प्रतिशत के बीच रही। जीएसडीपी में योगदान करने वाले सभी तीन क्षेत्रों अर्थात् उद्योग, कृषि और सेवाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज की (विवरण चार्ट 1.1 और 1.3 में हैं)।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड -19 के साथ आर्थिक मंदी का प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में कमी का प्रभाव था। पिछले वर्षों की तुलना में राज्य के राजस्व और व्यय की माहवार स्थिति चार्ट 1.1 और 1.2 में दर्शायी गई है:

चार्ट 1.1: माहवार राजस्व प्राप्तियां



चार्ट 1.2: माहवार राजस्व व्यय



प्राप्तियों पर प्रभाव

2016-17 से 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई (विवरण **द्वितीय अध्याय की तालिका 2.3** में दिया गया है)। गैर-कर राजस्व में (-)10.04 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर के कारण अपने स्वयं के संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन में पिछले वर्ष की तुलना में (-)0.08 प्रतिशत की गिरावट आई है।

केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान (जीआईए) राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 52 प्रतिशत है। केंद्रीय कर हस्तांतरण मूल रूप से, केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित करों की शुद्ध आय का हिस्सा होता है। चूंकि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य का हिस्सा 42 प्रतिशत पर तय किया गया है और पंद्रहवें वित्त आयोग में 41 प्रतिशत तक कम किया गया है, इसलिए हिस्से की पूर्ण राशि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों की कुल राशि पर निर्भर करती है। कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों की कुल मात्रा वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान घट गई, इसलिए इस अवधि के दौरान केंद्रीय कर हस्तांतरण भी कम हो गया, जो कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दिखा रहा था। (विवरण **द्वितीय अध्याय की तालिका 2.7** में है)। इसी तरह, भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियों में भी पिछले वर्ष की तुलना में 5.87 प्रतिशत की कमी आई है।

व्यय पर प्रभाव

कुल खर्च वर्ष 2019-20 में ₹82,099.86 करोड़ से ₹2,992.32 करोड़ कम होकर वर्ष 2020-21 में ₹79,107.54 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और राज्य शासन द्वारा सरकारी व्यय को युक्तिसंगत बनाने और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न आर्थिक उपाय किए गए। राज्य शासन ने कुल बजट प्रावधान के उपयोग को 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया और प्रशिक्षण, सरकारी दौरों और बैठकों, नई योजनाओं के कार्यान्वयन, नए वाहनों की खरीद आदि जैसे कई मदों से संबंधित व्यय को नियंत्रित किया।

कोविड-19 के कारण बचत

वर्ष 2020-21 के दौरान भारी बचत हुई, जिसमें 72 अनुदानों/विनियोगों में से 17 अनुदानों ने बजट आवंटन के 50 प्रतिशत से कम का उपयोग दिखाया। वर्ष 2020-21 में कुल बजटीय प्रावधान का 86.30 प्रतिशत से 81.22 प्रतिशत तक धन का उपयोग कम हो गया। भिन्नता के कारणों की आवश्यकता वाले कुल 1656 उप-शीर्षों में से 830 उप-शीर्षों में कारण प्रदान किए गए थे, जिनमें से 122 मामलों में भिन्नता के कारणों को बजट में कटौती/कोविड-19 के कारण कम व्यय के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

राजस्व और राजकोषीय घाटे और इसके वित्तपोषण पर प्रभाव

छत्तीसगढ़, जो वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक राजस्व आधिक्य राज्य था, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान राजस्व घाटे वाले राज्य में बदल गया। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा क्रमशः ₹9,608.61 करोड़ और ₹6,856.66 करोड़ था। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹17,969.55 करोड़ और ₹15,822.38 करोड़ था (विवरण **द्वितीय अध्याय की तालिका 2.29** में है)।

राजस्व में कमी को भारत सरकार से आंतरिक ऋण और ऋण के तहत उच्च प्राप्तियों के साथ पूरा किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य शासन द्वारा जुटाई गई बाजार उधारी (₹13,000 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के बड़े हिस्से को वित्तपोषित करना जारी रखा और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसका शुद्ध हिस्सा 66.36 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक ऋण में 16.82 प्रतिशत (₹10,156.14 करोड़) की वृद्धि हुई और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 123.20 प्रतिशत (₹3,405.25 करोड़) की वृद्धि हुई। ऋण और अग्रिम में वृद्धि राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदान किए गए जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ₹3,109 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण के कारण थी। इस ऋण का कर्ज भुगतान जीएसटी मुआवजा कोष में

उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों पर नहीं होगा।

जीएसटी मुआवजा, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य शासन का राजस्व है। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹3,212.16 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा, छत्तीसगढ़ को राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के तहत ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण भी प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य के लिए कोई चुकौती देयता नहीं थी। इस प्रकार जीएसटी मुआवजे के एवज में ₹3,109 करोड़ की प्राप्ति (ऋण) को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹3,747.66 करोड़ और ₹12,713.38 करोड़ होगा।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति


वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रचलित मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-)2.97
प्रचलित मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,62,801	2,82,283	3,18,101 ^{प्र}	3,44,955 ^{त्व}	3,50,270 ^अ
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.72	7.41	12.69	8.44	1.54

(स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)
अ-अग्रिम अनुमान त्व-त्वचित अनुमान प्रा-प्रावधिक अनुमान

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि, पाँच वर्ष के अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाते हुए 1.54 से 16.72 प्रतिशत के मध्य रही। यद्यपि छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान उच्च दर से बढ़ा हो लेकिन इसने गत वर्ष के तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज की जो कि मुख्य रूप से जीएसडीपी बनाने वाले सभी तीन क्षेत्रों-कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2019-20 में वृद्धि 13.35 प्रतिशत, 4.73 प्रतिशत एवं 10.01 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 में क्रमशः 10.40 प्रतिशत, (-)3.34 प्रतिशत एवं 3.34 प्रतिशत में कमी के कारण हुआ।

आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः तीन क्षेत्रों -प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है, जो कि कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव समझने के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव को जानना आवश्यक है। वर्ष 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: वर्ष 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना




स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

जैसा कि चार्ट 1.3 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का मुख्य योगदान था, जबकि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का मुख्य योगदान रहा। प्रतिशत के अनुरूप से छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों का योगदान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक था। जबकि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र और उत्पाद कर/उत्पाद अनुदान का भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कम योगदान रहा।

चार्ट 1.4 यह दर्शाता है कि पाँच वर्ष की अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सेवा क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2016-17 में 20.66 प्रतिशत एवं 33.26 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 में 21.12 प्रतिशत एवं 35.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2016-17 में 37.99 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 में 36.89 प्रतिशत की कमी हुई। उत्पाद कर और उत्पाद अनुदानों के योगदान भी वर्ष 2016-17 में 8.09 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 में 6.90 प्रतिशत की कमी हुई।


चार्ट-1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव (वर्ष 2016-17 से 2020-21)



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) का प्रतिवेदन राज्य के लेखाओं से सम्बन्धित होता है, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हें राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई है।

प्रतिवर्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणकों, चालान, एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखें, राज्य शासन के नियंत्रण में कार्यरत कार्यालय और विभाग जो ऐसे लेखों को रखने के लिये उत्तरदायी तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखें तथा विनियोग लेखें द्वारा तैयार किया जाता है। इन लेखों का लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किया जाता है, तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के लिये राज्य के वित्त लेखा एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन का मुख्य आंकड़ा होता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है :

- वर्ष 2020-21 के लिये राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है ;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालयों (लेखांकन साथ ही एम.आई.एस) से अन्य आंकड़ा;
- संचालनालय, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े;
- वर्ष 2016-21 के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों।

पंद्रहवे वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों की सिफारिशों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है :

प्रथम अध्याय	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निधि आंकड़ा, सरकारी लेखों का संरचना, बजटीय प्रक्रिया, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो विश्लेषण और राज्य का घाटा/आधिक्य सहित राजकोषीय स्थिति प्रदान करता है।
द्वितीय अध्याय	राज्य शासन के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का विगत वर्ष के तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति, राज्य का ऋण का पार्श्व चित्र और प्रमुख लोक लेखा का लेन-देन, राज्य का वित्त लेखों के आधार पर व्यापक स्वरूप प्रदान करता है।
तृतीय अध्याय	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है, राज्य शासन की विनियोजन और आंवटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है, और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदित करता है।
चतुर्थ अध्याय	लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों के कार्यप्रणालियों की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
पंचम अध्याय	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन यह अध्याय छत्तीसगढ़ के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों) के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है।

1.4 शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहंगावलोकन

शासकीय लेखों को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत शासन को प्राप्त समस्त राजस्व, शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शासन द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय के कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन द्वारा या शासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित है। शासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखे में किये गये व्यय अन्य व्यय से भिन्नता होनी चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

राजस्व व्यय में शासन के वे समस्त व्यय शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम-काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से संबन्धित हो सकते हैं) आदि व्ययों से संबन्धित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि:

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेरों में निवेश और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल है।

शासकीय लेखे के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और अर्थिक भी है।


	कार्यक्रम विवरण	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची में दर्शाये गये अनुसार	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/ विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
राज्यों के लिये	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम योजना	लघु-शीर्ष (तीन अंक) उप-शीर्ष (दो अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधियाँ	उद्देश्य शीर्ष – वेतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप-क्षेत्र शामिल है। व्यय के पक्ष में लेन-देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहायता अनुदानों तथा योगदानों एवं इन क्षेत्रों के नीचे मुख्य शीर्षों में उप-वर्गीकृत किया गया। समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्षों साधारणतः

शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षों के अधीनस्थ लघु शीर्षों शासन के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती हैं और यह आमतौर पर लघु शीर्षों के नीचे उप शीर्ष के अनुरूप होते हैं। उप-शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है।

शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण चार्ट 1.6 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.6: शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण



1.5 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में वर्ष 2020-21 के लिये राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक कथन **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपरोक्त को अनुदान/विनियोजन के लिये 72 मांग अनुदानों/विनियोजन के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया गया था और इनकी स्वीकृति के बाद आवश्यक धन समेकित निधि से विनियोग को प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था। राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे का कोर डाटा शामिल किया गया। यह लेखे वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित विभिन्न अंतरशासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं।

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया है) सुत्रीकरण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने के लिये मार्गदर्शन करता है।

1.5.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के सापेक्ष में वास्तविक वित्तीय परिणामों और वर्ष 2019-20 के वास्तविक परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़े स. रा.घ.उ का प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	22,117.85	26,155.00	22,889.20	87.51	6.53
2.	करेत्तर राजस्व	7,933.77	9215.00	7,136.95	77.45	2.04
3.	संघीय करों/शुल्कों के अंश	20,205.84	26,803.30	20,337.54	75.88	5.81
4.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	13,611.24	21,658.00	12,812.49	59.16	3.66
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	63,868.70	83,831.30	63,176.18	75.36	18.04
6.	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	256.91	300.00	104.13	34.71	0.03
7.	विविध पूँजी प्राप्तियाँ	4.70	0.00	4.85	0.00	0.00
8.	उधार एवं अन्य दायित्वों ¹	16,206.99	11,518.41	11,951.92	103.76	3.41
9.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	16,468.60	11,818.41	12,061.57	102.06	3.44
10.	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	80,337.30	95,649.71	75,237.75	78.66	21.48
11.	राजस्व व्यय	73,477.31	81,399.95	70,032.84	86.04	19.99
12.	ब्याज भुगतान	4,970.33	5,840.79	5,633.11	96.44	1.61
13.	पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हेतु सहायता अनुदान	1,939.61	2,732.19	1,837.67	67.26	0.52
14.	पूँजीगत व्यय जिसमें से पूँजीगत परिव्यय अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	8,622.55	14,249.76	9,074.70	63.68	2.59
		8,566.39	13,814.11	9,024.19	65.33	2.58
		56.16	435.65	50.51	11.59	0.01
15.	कुल व्यय (11+14)	82,099.86	95,649.71	79,107.54	82.71	22.58
16.	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (5-11)	(-)9,608.61	2,431.35	(-)6,856.66	(-)282.01	(-)1.96
17.	राजकोषीय घाटा {15-(5+6+7)}	(-)17,969.55	(-)11,518.41	(-)15,822.38	137.37	(-)4.52
18.	प्राथमिक घाटा (17+12)	(-)12,999.22	(-)5,677.62	(-)10,189.27	179.45	(-)2.91

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक 2020-21

1.5.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय दायित्वों और किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ को समाहित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण और भारत सरकार से अग्रिम, सार्वजनिक लेखों से प्राप्तियाँ और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य शासन द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम एवं रोकड़ शेष शामिल हैं।

¹ (निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ+निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ+निवल आकस्मिकता निधि)+(निवल प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष)

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	दायित्वों			परिसंपत्तियाँ			
	2019-20	2020-21	वृद्धि(+)/कमी (-) की प्रतिशतता		2019-20	2020-21	वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता
आंतरिक ऋण	60,382.67	70,538.81	16.82	कुल पूँजीगत परिव्यय	92,893.83	1,01,913.17	9.71
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों	2,764.05	6,169.30 ²	123.20	ऋण और अग्रिमों	1,397.08	1,342.78	(-)3.89
आकस्मिकता निधि (कोपर्स)	100.00	100.00	0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	0.00	0.00	0.00
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	7,617.67	8,021.40	5.30	अग्रिम	1.83	1.83	0.00
जमा	5,483.29	5,985.11	9.15	प्रेषण	278.30	329.28	18.35
आरक्षित निधि	9,697.05	9,180.67	(-)5.33	उच्चत तथा विविध शेष	0.00	0.00	0.00
उच्चत तथा विविध शेष	89.52	77.19	(-)13.77	रोकड़ शेष ³	11,396.60	9,461.37	(-)16.98
प्रेषण	0.00	0.00	0.00	कुल (1 से 7)	1,05,967.64	1,13,048.43	6.68
				शासकीय लेखों पर घाटा	19,833.39	12,975.95	(-)34.58
कुल (1 से 8)	86,134.25	1,00,072.48	16.18	कुल (8 से 9)	86,134.25	1,00,072.48	16.18

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक

1.6 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

घाटा, शासन के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधक का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटे को कम किया जाता है और उठाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वे इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह खंड वित्त वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन के साथ-साथ प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण इन घाटे के वित्तपोषण के तरीके और वित्तीय स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रस्तुत करता है।

1.6.1 राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (सितम्बर 2011 एवं उसके बाद 2016 में संशोधित) राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना था। इसके अलावा, सीजीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम (3 मार्च 2021) के अनुसार जो 1 मार्च 2020 से लागू हुआ, वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के

² इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है। इस ऋण की ऋण चुकोती जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी।

³ निर्धारित निधि में निवेश सहित

पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और कुल देनदारियां आंतरिक अशांति या प्राकृतिक आपदा या राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य असाधारण आधारों से उत्पन्न राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकती हैं।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय चर, राजकोषीय नीति वक्तव्यों में अधिनियम के तहत किए गए खुलासे और 2016–21 के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2016–21⁴

राजकोषीय मापदंडों	अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	राजस्व आधिक्य	5,520.65	3,417.32	683.76	(-)9,608.61	(-)6,856.66
		हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
राजकोषीय घाटा (-)आधिक्य(+)	2016–19 के लिये स.रा.घ.उ. का 3.50 प्रतिशत एवं 2019–21 के लिये स.रा.घ.उ. का 5.00 प्रतिशत	(-) 4,047.27 (1.54 प्रतिशत)	(-)6,810.32 (2.41 प्रतिशत)	(-)8,292.23 (2.61 प्रतिशत)	(-)17,969.55 (5.21 प्रतिशत)	(-)15,822.38 (4.53 प्रतिशत)
		हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देयताए का अनुपात (प्रतिशत में)	2016–17 के लिये 15.45% 2017–18 के लिये 18.47% 2018–19 के लिये 18.06% 2019–20 के लिये 21.23% 2020–21 के लिये 21.59%	16.84 प्रतिशत	18.74 प्रतिशत	20.98 प्रतिशत	22.82 प्रतिशत	25.58 ⁵ प्रतिशत
		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा ₹6,856.66 करोड़ था, जबकि वर्ष 2019–20 में यह ₹9,608.61 करोड़ था। ₹2,751.95 करोड़ की कमी मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹3,444.47 करोड़ (4.69 प्रतिशत) की कमी के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2019–20 की तुलना में ₹692.52 करोड़ (1.08 प्रतिशत) की कमी के कारण थी। भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.87 प्रतिशत की कमी आई है।

राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020–21 के दौरान ₹2,147.17 करोड़ घटकर ₹15,822.38 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2019–20 में ₹17,969.55 करोड़ था, क्योंकि राजस्व घाटा 2019–20 में ₹9,608.61 करोड़ से घटकर वर्ष 2020–21 में ₹6,856.66 करोड़ हो गया। केवल वर्ष 2019–20 को छोड़कर, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान एफ.आर.बी.एम./एम.टी.एफ.पी.एस. के तहत निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी के 5.21 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा वर्ष 2019–20 के दौरान एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

जीएसटी मुआवजा जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य शासन का राजस्व है। हालांकि, जीएसटी मुआवजा की राशि प्राप्त करने के अलावा राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹3,212.16 करोड़, वर्ष 2020–21 के दौरान जीएसटी मुआवजा निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, छत्तीसगढ़ को भी राज्य शासन की ऋण प्राप्ति के तहत ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है। राज्य शासन का राजस्व घाटा ₹6,856.66 करोड़ और राजकोषीय घाटा

⁴ जीएसडीपी के संबंध में पूर्व की रिपोर्टों में दर्शाए गए प्रतिशत को जीएसडीपी के संशोधित आंकड़ों के कारण संशोधित किया गया है।

⁵ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹3,109 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹89,605.22 करोड़ पर की गई है।

₹15,822.38 करोड़ जैसा कि वित्त लेखा 2020-21 में दर्शाया गया है, इसलिए जीएसटी मुआवजे के बदले ₹3,109 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जीएसटी मुआवजे के बदले में ₹3,109 करोड़ की प्राप्ति (ऋण) को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹3,747.66 करोड़ और ₹12,713.38 करोड़ होगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद को कुल बकाया ऋण का प्रतिशत (25.58 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस (21.59 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से अधिक लेकिन पन्द्रहवे वित्त आयोग (28 प्रतिशत) द्वारा अनुशंसित लक्ष्य के भीतर था। कुल बकाया ऋण की राशि से जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले राज्य शासन द्वारा प्राप्त ₹3,109 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर ऋण-जीएसटीपी प्रतिशत की गणना की गई है।

1.6.2 वर्ष 2020-21 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के समक्ष वित्तीय नीति विवरण जैसे मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (एमएफएस), मध्यम अवधि के वित्तीय नीति वक्तव्य (एमटीएफपीएस) और वित्तीय नीति रणनीति वक्तव्य वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ रखेगी।

विवरण में राज्य की अर्थव्यवस्था का एक विहंगावलोकन, जीएसटीपी के विकास और क्षेत्रीय संरचना का विश्लेषण, राज्य शासन के वित्त और भविष्य की संभावनाओं से संबंधित मूल्यांकन, निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्य आदि शामिल होंगे।

तालिका 1.5 में वर्ष 2020-21 में राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किये गये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक की भिन्नता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय संकेतक	एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1	स्वयं के कर राजस्व	26,155.00	22,889.20	(-)12.49
2	करेतर राजस्व	9,215.00	7,136.95	(-)22.55
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	26,308.30	20,337.54	(-)24.12
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	21,658.00	12,812.49	(-)40.84
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	83,831.30	63,176.18	(-)24.64
6	राजस्व व्यय	81,399.95	70,032.84	(-)13.96
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	2,431.35	(-)6,856.66	(-)382.01
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)11,518.41	(-)15,822.38	37.33
9	राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया ऋण का अनुपात	21.59	25.58 ⁶	22.60
10	प्रचलित मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर	9.97	1.54	(-)84.55

स्रोत : वित्त लेखे तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रकटीकरण वर्ष 2020-21

जैसा कि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान

⁶ ऋण/जीएसटीपी अनुपात की गणना बकाया ऋण पर की गई, जिसमें बैंक टू बैंक ऋण की राशि ₹3,109 करोड़ शामिल नहीं है।

वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त नहीं हुआ। मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में अनुमानित राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ में 24.64 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय में 13.96 प्रतिशत की कमी हुई।

1.6.3 घाटा/आधिक्य

जब कोई शासन राजस्व के माध्यम से जितना संग्रहित होता है उससे अधिक व्यय करता है तो यह घाटा निर्मित करता है। ऐसे कई कदम हैं जो शासकीय घाटे को अधिकृत करते हैं।

<p>राजस्व घाटा/ आधिक्य (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p>राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर के संदर्भ में</p> <ul style="list-style-type: none"> जब शासन का राजस्व घाटा होता है, इसका अर्थ यह है कि शासन निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्त करने के लिए कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसके अतिरिक्त पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये किया गया था, जिससे पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। इस स्थिति का मतलब है कि, शासन को न केवल अपने निवेश को वित्त करने के लिये उधार लेना होगा बल्कि, इसके उपभोग की आवश्यकताएँ भी होंगी। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और शासन को अंततः व्यय में कटौती करने के लिये विवश करता है। यदि राजस्व व्यय का अधिकांश अंश प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियों, वेतन, पेंशनों) हो तो, शासन द्वारा उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम किया जाता है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ।
<p>राजकोषीय घाटा/ आधिक्य [कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर ऋण प्राप्तियाँ जो पूँजीगत प्राप्तियाँ को निर्मित करती है)]</p>	<p>यह राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ का योग और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। राजकोषीय घाटा शासन की कुल उधार आवश्यकताओं के लिये चिंतनशील है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा शासन के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियाँ के मध्य का अंतर है जो उधार को छोड़कर है। गैर ऋण उत्पन्न करने वाली पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो उधार नहीं हैं और इसलिये ऋण को बढ़ने नहीं देते हैं। ऋण की वसूली तथा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय इसका उदाहरण है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार यह समस्त स्रोतों से शासन की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के निर्माण के लिये उधार लेती हैं ताकि, उधार के माध्यम से निर्मित संपत्ति से आय के स्रोत उत्पन्न करके अपने लिये भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये प्राप्तियों का उपयोग करना पूरी तरह से उधार लेने के लिये वांछनीय है।</p>


1.6.4 घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹15,822.38 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.53 प्रतिशत (₹3,50,269.83 करोड़) तथा कुल व्यय का 20.00 प्रतिशत (₹79,107.54 करोड़) गठित करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹12,999.22 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान घटकर ₹10,188.60 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹9,608.61 करोड़ का राजस्व घाटा घटकर ₹6,856.66 करोड़ हो गया। वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की पाँच वर्ष की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.7 में तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ


(₹ करोड़ में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.8: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.7 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा और ऋण की स्थिति दो महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक हैं। राज्य के वित्त की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, लेखापरीक्षा के ध्यान में आने वाले विभिन्न मुद्दे जिनका राज्य शासन के राजकोषीय घाटे और ऋण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, का विवरण नीचे दिया गया है।

1.7.1 लेखापरीक्षा के बाद—घाटा/आधिक्य

कुछ मुद्दे जैसे राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 के अपने लेखों में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण/पूँजी के रूप में बुकिंग, संबंधित निधियों को प्राप्त अनुदान के केंद्रीय हिस्से का हस्तांतरण न करना और अन्य मुद्दे, जिनकी चर्चा रिपोर्ट के आगामी अध्यायों में की गई है, वर्ष 2020-21 के वित्त लेखों में दर्शाए गए राजस्व/राजकोषीय आधिक्य/घाटे पर प्रभाव डालते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़े पर पहुंचने के लिए, उपरोक्त मुद्दों के प्रभाव को उचित रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

ऊपर बताए गए मुद्दों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को क्रमशः ₹2,658.61 करोड़ और ₹792.76 करोड़ से कम करके दिखाया गया है जिसे तालिका 1.6 में दर्शाया गया है और उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वास्तविक घाटे का निर्धारण तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षाओं के बाद राजस्व/राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूँजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान	0.00	1,837.67	0.00	0.00
पूँजीगत अनुभाग में दर्ज किये गये राजस्व व्यय	0.00	28.18	0.00	0.00
राष्ट्रीय पेंशन योजना	0.00	4.84	0.00	4.84
राष्ट्रीय पेंशन योजना पर ब्याज देनदारियाँ	0.00	1.83	0.00	1.83
राज्य आपदा राहत निधि में सहायता अनुदान के केंद्रीय हिस्से का गैर हस्तांतरण	0.00	172.80	0.00	172.80
राज्य आपदा राहत निधि में सहायता अनुदान के तदनुसार राज्य हिस्से का गैर हस्तांतरण	0.00	57.60	0.00	57.60
राज्य आपदा शमन निधि में सहायता अनुदान के केंद्रीय हिस्से का गैर हस्तांतरण	0.00	43.20	0.00	43.20
राज्य आपदा शमन निधि में सहायता अनुदान के तदनुसार राज्य हिस्से का गैर हस्तांतरण	0.00	14.40	0.00	14.40
अवसंरचना विकास उपकर का गैर हस्तांतरण	0.00	219.90	0.00	219.90
पर्यावरण उपकर का गैर हस्तांतरण	0.00	219.90	0.00	219.90
केंद्रीय सड़क निधि के सहायता अनुदान का गैर हस्तांतरण	0.00	58.29	0.00	58.29
योग	0.00	2,658.61	0.00	792.76

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

विशेष	वित्त लेखा के अनुसार	न्यूनोक्ति	वास्तविक/पोस्ट ऑडिट परीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
राजस्व घाटा(-)	(-)6,586.66	(-)2,658.61	(-)9,245.27
राजकोषीय घाटा(-)	(-)15,822.38	(-)792.76	(-)16,615.14

1.7.2 लेखा परीक्षा के बाद—कुल ऋण/दायित्व

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य के समेकित निधि और सार्वजनिक खाते के तहत शामिल देनदारियां और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहन और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरण शामिल हैं जहां मूलधन और ब्याज को राज्य के बजट से सेवित किया जाना है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान, राज्य शासन ने ₹2,333.98 करोड़ के ऑफ-बजट उधार का सहारा लिया है, जिसमें से सरकार ने बजट के माध्यम से ₹24.19 करोड़ का पुनर्भुगतान किया है। इस मुद्दे पर रिपोर्ट अध्याय 4 की कंडिका 4.15 में विस्तार से चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा पश्चात देयताओं की गणना के लिए, ऑफ-बजट उधार को कुल देनदारियों में जोड़ दिया गया है।

जीएसटी मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण राज्य को भुगतान किए जाने वाले जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 में एक विशेष उधार की स्थापना की और तदनुसार, राज्य को ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण जारी किया। इस बैंक टू बैंक ऋण को वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित राज्य की वार्षिक निवल उधार सीमा के अतिरिक्त माना गया है। इसके अलावा, इस ऋण की ऋण चुकौती जीएसटी मुआवजा कोष में उपकर के संग्रह से की जानी है, और इसलिए राज्य के अन्य संसाधनों से चुकौती दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। लेखा परीक्षा के बाद देनदारियों की गणना के लिए जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण को भी बाहर रखा गया है।

ऑफ-बजट उधार और बैंक टू बैंक ऋण के कारण, कुल ऋण/देयता जीएसटीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ी/घटी है जैसा कि तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: कुल देयताएं, लेखापरीक्षा में जांच के बाद

क्र.स	विशेष	राशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	31.03.2021 को खातों के अनुसार कुल देयताएं/समग्र ऋण (अ)	92,714.22	26.47
2.	31.03.2021 को निवल ऑफ-बजट देनदारियां (₹2333.98 – ₹24.19)(ब)	2,309.79	0.66
3.	ऑफ-बजट देनदारियों सहित कुल देनदारियां (स) = (अ) + (ब)	95,024.01	27.13
4.	जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में बैंक टू बैंक एक ऋण (द)	3,109.00	0.89
	कुल देयताएं (स)-(द)	91,915.01	26.24

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2020–21

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ऑफ-बजट देनदारियों और बैंक टू बैंक ऋण को समायोजित करने के बाद ऋण-जीएसटीपी अनुपात 26.47 प्रतिशत से घटकर 26.24 प्रतिशत हो गया।